

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, ओडिशा जेनेरेशन फेज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड 765 के. व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) - रायपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के गाईड लाइन के अनुसार निर्धारित राइट आफ वे (ROW) 67 मीटर मानकर आवेदित क्षेत्र की गणना की गई है ,एवं निर्धारित राइट आफ वे (ROW) 67 मीटर के अतिरिक्त विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के लिए ROW हेतु अन्य भूमि की आवश्यकता नहीं है ।

कृते ओडिशा जेनेरेशन फेज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड



सुरेन्द्र कुमार शर्मा
उप प्रबंधक (प्रोजेक्ट्स)

उप वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलधिकारी

बिलासपुर वनमंडल